



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ4()/परावि/सीसी/आई.टी.ई./राज ई-ऑफिस/2017/ जयपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश

राज-काज में पंचायती राज विभाग के तथा अधीनस्थ कार्यालयों(जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत) के अधिकारियों/कर्मचारियों के डाटा, अधिकारी/कर्मिक का नाम, पदस्थापन कार्यालय इत्यादि को अद्यतन किये जाने एवं कार्यालय में पदों के सृजन/अद्यतन हेतु विभागीय स्तर पर पी.एम.यू.(प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट) का गठन आदेश क्रमांक 7870678 दिनांक 11.06.2024 द्वारा किया जा चुका है।

पीएमयू टीम के अधिकारी/कर्मचारी को राज-काज पोर्टल पर मैपिंग बाबत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उक्त टीम को निर्देशित किया जाता है कि राज-काज पोर्टल पर जिलो से मैपिंग हेतु प्राप्त होने वाली ई-मेल पर कार्यवाही कर राज-काज पोर्टल पर मैपिंग का कार्य करना सुनिश्चित करावें।

क्र. सं.	अधिकारी/कार्मिक का नाम व पदनाम	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आई.डी.	आवंटित संवर्ग
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, अति. प्रशासनिक अधिकारी	9414221422	RJJP199619022674@rajasthan.in	अतिरिक्त विकास अधिकारी
2.	श्री महेन्द्र सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	9610502755	RJJP201319004530@rajasthan.in	सहायक विकास अधिकारी/प्रगति प्रसार अधिकारी
3.	श्री सुरेश बुनकर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	9828918289	RJJP200919008581@rajasthan.in	अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अन्य शेष संवर्ग (other gazetted)



4.	श्री विपिन राज, वरिष्ठ सहायक	7737577000	RJJP201519022296@rajasthan.in	संपूर्ण अभियन्ता संवर्ग
5.	श्री कृष्ण पाल, वरिष्ठ सहायक	9694451555	RJJP201819006921@rajasthan.in	ग्राम विकास अधिकारी
6.	श्री दिलीप सिंह, वरिष्ठ सहायक	8239505942	RJJP201819005496@rajasthan.in	पंचायती राज संस्थाओं का सम्पूर्ण मंत्रालयिक संवर्ग (other non gazetted)

(सन्तोष कुमार गोयल)
उपायुक्त एवं शासन उप सचिव(प्रथम) /
नोडल अधिकारी(राज-काज)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, उपायुक्त एवं शासन उप सचिव(प्रथम) / नोडल अधिकारी(राज-काज / ई-फाईल), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. समस्त शाखा प्रभारी अधिकारी, पंचायती राज मुख्यालय।
5. मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, को भेजकर लेख है कि राज काज पर मैपिंग हेतु संबंधित टीम से सम्पर्क करें एवं मैपिंग हेतु उचित माध्यम से अधिकारी / कार्मिक का डाटा संबंधित को ईमेल करावें।
6. संबंधित अधिकारी / कार्मिक को पालनार्थ |
7. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव(प्रथम) /